राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(वईजलास : आलोक रंजन, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–12 / 2018

दायर दिनांक 05.09.2018
निर्णय दिनांक 20.11.2019

श्री हलिया पिता पूंजा पारगी मीणा, निवासी लिम्बडिया, तहसील सागवाडा व जिला डूंगरपुर (राज0)

---अपीलार्थी

बनाम

1. श्री चेतन पिता लक्सी मीणा,
2. श्रीमति हेमला पत्नि चेतन मीणा श्रीमती
   निवासीयान लिम्बडिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री शैलेष भण्डारी, अभिभाषक – अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार – रेस्पाडेन्ट सं. 3 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र विरूद्ध विपक्षीगण के राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम लिम्बडिया तहसील सागवाडा की आराजी संख्या 890 रकबा 00–16 बीघा भूमि को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर आवंटीगण का कब्जा काश्त नहीं हैं जबकि आवंटन नियमों के तहत आवंटीगण को आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत भाग प्रथम वर्ष में एवं शेष रहा 50 प्रतिशत भाग द्वितीय वर्ष में काश्त करना आवश्यक हैं। आवंटीगण द्वारा आवंटन के पश्चात से काश्त नहीं करने के उपरान्त भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। आवंटीगण को आज तक भी मौके पर काश्त नहीं होकर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटीत भूमि पर अपीलार्थी का 30 वर्षो से अधिक समय का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। आवंटीगण के खाते पूर्व से ही पर्याप्त भूमि होकर आवंटन की पात्रता नहीं रखते हैं आवंटन प्रार्थना–पत्र पर पटवारी द्वारा गलत टिप्पणी कर विभागीय कर्मचारियों से सांठ–गांठ करते हुए गलत तथ्यों पर आवंटन करवा लिया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र के दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1

Scanned by CamScanner

की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 का वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर सरकार पेरोकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 जबाब पेश करने एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 का वकालतनामा पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं करने एवं दिनांक 13.03.2019 को आवाजे लगवाने पर भी रेस्पोडेन्ट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने आदेश 26 नियम 9 जा.दि. के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए आवंटित भूमि ग्राम लिम्बडिय तहसील सागवाडा के ख.नं. 890 बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सागवाडा ने बाद जांच रिपोर्ट मय पर्चा के उनके पत्र क्रमांक 841 दिनांक 24.09.2019 प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में संग्रहीत हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस समायत की गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि पर अपीलान्ट का विगत 30 वर्षो से अधिक का कब्जा काश्त हैं। रेस्पोडेन्टगण को आवंटीत भूमि के पास अपीलार्थी की खतेदारी भूमि स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा उन्हें आवंटित भूमि वर्ष 2005 से लेकर आज तक कोई काश्त नहीं की हैं, जबकि भूमि आवंटन नियमों में आवंटन के पश्चात् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करना एवं 50 प्रतिशत भूमि पर दूसरे वर्ष में काश्त करना आवश्यक हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं तथापि नियमों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हैं। नियमों के विपरीत आवंटित भूमि एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने की स्थिति में ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता हैं। अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायालय का ध्यान न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2001 पृष्ठ सं. 465 राजु बनाम आम जनता की ओर आकर्षित कराया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीर तथा तहसीलदार सागवाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीदार सागवाडा की रिपोर्ट में अंकित हैं कि ग्राम लिम्बडिया की आ.नं. 890 रकबा 00–16 बीघा भूमि पर किसी का भी कब्जा काश्त नहीं होकर पड़त ही चली आ रही हैं। इस रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि आवंटित भूमि पर आवंटीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का काश्त कब्जा नहीं रहा हैं एवं उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों के नियम 14(3) की पालना नहीं की हैं जिससे ऐसा आवंटन नियम 14(4) के तहत निरस्त योग्य हैं।

Scanned by CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम ग्राम लिम्बडिया तहसील सागवाडा में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटीत भूमि आ.नं. 890 रकबा 00–16 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार सागवाडा उक्त भूमि को पूर्ववत् बिलानाम सरकार दर्ज करने हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Alok Ranjan
Date: 2019.12.10 15:59:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: